

यू०एस०आर०एल०एम०
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, ग्राम्य विकास विभाग
आजीविका भवन, सर्वे चौक, देहरादून।
आदेश

संख्या 1135/262/यू०एस०आर०एल०एम०
दिनांक 08 दिसम्बर, 2017

शासनादेश सं०-1135/262/यू०एस०आर०एल०एम०/2017 दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण तथा अनुश्रवण आदि के संदर्भ में सक्रिय महिलाओं की सेवाये लिये जाने विषयक जारी आदेश के क्रम में यह स्पष्ट करना है कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट उपनियमों के अधीन सक्रिय महिला को यथा नियमानुसार स्वयं की ग्राम पंचायत में कार्य करना है तथा उक्त कार्य के सापेक्ष देय मानदेय, महात्मागांधी नरेगा के तहत अकुशल श्रमिक को प्रतिदिन देय मानदेय के अनुसार ही होगा जो कि वर्तमान में रु० 175 प्रतिदिन प्रतिश्रमिक देय है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी भत्ता/किराया/ब्यय आदि देय नहीं होगा। महात्मा गांधी नरेगा में अकुशल श्रमिक के मानदेय में वृद्धि होने की दशा में सक्रिय महिला का मानदेय में भी स्वतः वृद्धि समझी जायेगी। उक्त मानदेय केवल शासनादेश सं० 1135/262/यू०एस०आर०एल०एम०/2017 दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को जारी आदेश के आलोक में ही विधिमान्य होगा।

(युगल किशोर पंत)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
यू०एस०आर०एल०एम०

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सयुक्त सचिव, आर०एल०, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला मिशन प्रबंधक, यू०एस०आर०एल०एम०, उत्तराखण्ड।
5. एम०आई०एस०, यू०एस०आर०एल०एम०, आजीविका भवन को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(युगल किशोर पंत)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
यू०एस०आर०एल०एम०